"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016—— चैत्र 17, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

कमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच (26). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (4) में विनिर्दिश्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन, दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

अ.क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धनों एवं शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सायकल तथा सायकल पार्ट्स	संपूर्ण कर	–
2.	मोबाईल फोन	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5% हो जाए	–
3.	सफाई के लिए उपयोग किये जाने वाला झाड़ू, पोछा (मॉप), ब्रश तथा वाईपर	संपूर्ण कर	–
4.	इडली तथा डोसा के घोल (बैटर)	संपूर्ण कर	–

5.	आयरन ओर, आयरन ओर पैलेट	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2% हो जाए	–
6.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (एक) में यथा विनिर्दिष्ट पिग आयरन और स्पंज आयरन	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2% हो जाए	–
7.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) में यथा विनिर्दिष्ट इंगॉट और बिलेट	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2% हो जाए	–
8.	फेरो–एलॉयज	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2% हो जाए	–
9.	घी, पनीर एवं खोवा	संपूर्ण कर	जब ऐसा माल छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्मित हो
10.	तार कील (वायर नेल)	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5% हो जाए	–

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

कमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच.(26) — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच (26) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-17/2016/CT/V (26). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4), for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Class of Goods	Extent of Exemption	Restrictions and Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bicycle and bicycle parts	Whole of tax	-
2.	Mobile phone	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5%	-
3.	Broom, pochha (mop), brush and wiper used for cleaning	Whole of tax	-
4.	Idli and dosa batter	Whole of tax	-
5.	Iron ore, iron ore pellet	Partly, so as to reduce the rate of tax to 2%	-
6.	Pig iron and sponge iron, as specified in category (i) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Partly, so as to reduce the rate of tax to 2%	-
7.	Ingot and billet, as specified in category (ii) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Partly, so as to reduce the rate of tax to 2%	-
8.	Ferro-alloys	Partly, so as to reduce the rate of tax to 2%	-
9.	Ghee, paneer and khoa	Whole of tax	When such goods are manufactured in the State of Chhattisgarh.
10.	Wire nail	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5%	-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच(27). —– छत्तीसगढ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की अनुसूची–3 के अनुक्रमांक 8 के कॉलम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना के द्वारा कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में/के लिए प्रयुक्त माल को अधिसूचित करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच(27). —– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच (27) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-17/2016/CT/V (27). — In exercise of powers conferred by column (2) of Serial Number 8 of Schedule-III of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, notifies the goods used in/for the manufacture of goods, which are exempted in whole from payment of tax by any notification issued under the said Act.

This notification shall come into effect from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच (28). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 71 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित और आवश्यक संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

(1) नियम 3 के उप–नियम (5) में, शब्द एवं कोष्टक "खण्ड (ग)" के स्थान पर, शब्द एवं कोष्टक "खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) नियम 9 के उप–नियम (2) में,–

(एक) शब्द "या राज्य के बाहर विक्रय हेतु" को विलोपित किया जाये; तथा

(दो) परंतुक को विलोपित किया जाये।

(3) नियम 22 में,–

(एक) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(ग) धारा 19 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण, इसके प्रस्तुत किए जाने के लिए विहित अंतिम तिथि के एक माह के भीतर एक बार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।"

(दो) उप–नियम (2) में, शब्द एवं अंक "प्ररूप 17 में" के पश्चात्, शब्द, अंक एवं कोष्टक "तथा खण्ड (ग) में विहित प्ररूप 18 में" अंतःस्थापित किया जाए।

(तीन) उप–नियम (2) के खण्ड (ख) में, शब्द एवं कोष्टक "खण्ड (क)" के पश्चात्, शब्द एवं कोष्टक "या खण्ड (ख)" अंतःस्थापित किया जाए।

(4) नियम 35 में,–

(एक) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी, ऐसे व्यापारी को छोड़कर जिस पर उपनियम (2) के प्रावधान लागू होते हैं, तिमाही देय कर का न्यूनतम 90 प्रतिशत भुगतान, किसी तिमाही के समाप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर तथा शेष कर का भुगतान, तिमाही के समाप्त होने के तीस दिन के भीतर करेगा।"

(दो) उप–नियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ख) व्यापारी, तिमाही के लिए देय शेष कर की राशि का न्यूनतम 90 प्रतिशत भुगतान, तिमाही के समाप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर तथा शेष बची हुई कर की राशि का भुगतान, तिमाही के समाप्त होने के तीस दिन के भीतर करेगा।"

(5) नियम 57 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"57. अपील ज्ञापन का प्रस्तुत किया जाना.–

(1) प्रत्येक अपील लिखित में होगी तथा उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,–

(क) अपीलकर्ता का नाम तथा पता,

(ख) उस आदेश, जिसके विरुद्ध वह की गई है, की तारीख,

(ग) वह तारीख, जिस पर आदेश, अपीलकर्ता को संसूचित किया गया हो,

(घ) तथ्यों का स्पष्ट विवरण,

(ङ) बिना किसी तर्क या विवरण, उन आधारों, जिन पर अपील फाईल की गई हो, का क्रमवार संख्या,

(छ) संक्षिप्त रुप से, चाहा गया अनुतोष, और

(ज) अपीलकर्ता द्वारा या ऐसे अभिकर्ता जिसे उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा, अर्थात्:–

"मैं, ... अपीलकर्ता, जिसका नाम उपरोक्त अपील ज्ञापन में दिया गया है, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उसमें जो भी कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है।

....

हस्ताक्षर

(2) अपील के ज्ञापन के साथ निम्नलिखित संलग्न किये जायेंगे–

(एक) आक्षेपित आदेश की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि, और

(दो) धारा 48 की उप–धारा (4) के उपबंधों के अनुसार कर तथा/या शास्ति की राशि के भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालान की एक प्रति।

(3) कर निर्धारण के आदेश या शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील, यथासंभव, प्ररूप 53 में होगी।

(4) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा तथा इसे अपीलकर्ता या उसके अभिकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी या ऐसे किसी प्राधिकारी को जिसे आयुक्त, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, को प्रस्तुत किया जायेगा या इसे ऐसे प्राधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा।

(5) जब धारा 24 की उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित अपीलकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत की जाती है तब उसके साथ उसे इस प्रकार नियुक्त करने वाले प्राधिकारी का सम्यक् रूप से मुद्रांकित पत्र भी संलग्न करना होगा ।

(6) अपील का ज्ञापन या धारा 55 के अधीन निर्देश के लिए आवेदन, अपीलकर्ता द्वारा या आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा अधिकरण के रजिस्ट्रार या क्लर्क ऑफ कोर्ट को अधिकरण के मुख्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अधिकरण को भेजा जाएगा।

(7) अपील प्राधिकारी, साधारणतः अपील प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन के भीतर, आक्षेपित आदेश तथा/या ऐसे आदेश से संबंधित अभिलेख को उचित जांच पड़ताल करने के पश्चात् या तो उसे स्वीकार कर लेगा या अस्वीकार कर देगा।"

(6) नियम 59 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"59. संक्षिप्त अस्वीकृति.–

(1) यदि अपील के ज्ञापन में, नियम 57 की समस्त या किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया हो या आवेदक, धारा 48 की उप–धारा (4) के उपबन्धों के अनुसार कर तथा/या शास्ति जिसके संबंध में अपील फाईल की गई हो, का भुगतान करने में विफल रहता हो, तो अपील को संक्षिप्ततः नामंजूर किया जा सकेगा :

परन्तु किसी भी अपील को तब तक इस उप–नियम के अधीन संक्षिप्ततः नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को अपील के ज्ञापन में इस प्रकार संशोधन करने का, ताकि वह

नियम 57 के अपेक्षाओं के अनुरूप उसे ला सके, ऐसा अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता जैसा कि अपील प्राधिकारी उचित समझे ।

(2) कोई भी अपील किसी अन्य आधार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, पर संक्षिप्ततः नामंजूर भी की जा सकेगी :

परन्तु इस उपनियम के अधीन संक्षिप्ततः नामंजूर करने के किसी आदेश को पारित करने के पूर्व अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) जहां अपील, उप–नियम (1) के अधीन इस आधार पर संक्षिप्ततः नामंजूर कर दी जाती है कि अपीलकर्ता, धारा 48 की उप–धारा (4) के उपबन्धों के अनुसार उस कर तथा/या शास्ति, जिसके संबंध में अपील की गई है, की रकम का भुगतान करने में विफल रहा हो, वहां अपील प्राधिकारी, यदि बाद में उसकी जानकारी में यह बात लाई जाये कि उक्त रकम का भुगतान अपील का ज्ञापन फाईल करने के पूर्व कर दिया गया था किन्तु भुगतान का सबूत उसके साथ नहीं दिया गया था, वहां अपील पुनः स्वीकार कर सकेगा।"

(7) नियम 60 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"60. सुनवाई.–

(1) यदि अपील प्राधिकारी अपील संक्षिप्ततः नामंजूर नहीं करता है तो वह अपीलकर्ता या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई हेतु तारीख नियत करेगा।

(2) उक्त प्राधिकारी किसी भी अपील की सुनवाई किसी अन्य तारीख के लिए किसी भी प्रक्रम पर स्थगित कर सकेगा।

(3) यदि अपीलकर्ता व्यक्तिशः या अपीलकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जैसा कि धारा 24 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित है, सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को या ऐसी किसी अन्य तारीख, जिस पर वह स्थगित की गई हो, उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उक्त प्राधिकारी, अपील को या तो खारिज कर सकता है या ऐसा एकपक्षीय निर्णय दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(4) जहां अपील उप–नियम (3) के अधीन खारिज कर दी गई हो या उस पर एकपक्षीय निर्णय दे दिया गया हो वहां अपीलकर्ता ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील को पुनः स्वीकार करने या उसकी पुनः सुनवाई के लिए अपील प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, और यदि अपील प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता या धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, अपील में सुनवाई के लिए बुलाये जाने के समय उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से निवारित था तो वह अपील ऐसे निबन्धनों पर, जिसमें खर्चे संबंधी निबंधन सम्मिलित है, तथा शर्तों पर पुनः स्वीकार कर सकेगा या उसमें पुनः सुनवाई कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।"

(8) नियम 63 में,–

(एक) उप–नियम (1) में, शब्द एवं अंक "धारा 49 के अधीन पुनरीक्षण के लिये आवेदनों" को विलोपित किया जाये; और

(दो) उप–नियम (1) के खण्ड (तीन) को विलोपित किया जाए।

(9) नियम 77 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"77–क. अपराधों का शमन.–

(1) आवेदक, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 64–क के अधीन अपराध के शमन हेतु आवेदन विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन के साथ कर की ऐसी रकम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय होती जबकि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया होता, जमा किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(2) विहित प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के भीतर आदेश पारित करेगा।

(3) विहित प्राधिकारी की राय में, यदि आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है वहां ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(4) जहां विहित प्राधिकारी अपराध का शमन करता है तो ऐसा आदेश–

(एक) लिखित में होगा,

(दो) अपराध का उल्लेख होगा,

(तीन) भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख होगा,

(चार) व्यापारी जिसने अपराध किया है, को तामील किया जाएगा, तथा

(पांच) अंतिम होगा तथा अपील के अध्यधीन नहीं होगा।

(5) व्यापारी, आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आदेशानुसार शेष देय राशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यदि निर्धारित समय में भुगतान न करने पर आदेश निष्प्रभावी माना जायेगा।

(10) प्ररूप 17 के अनुक्रमांक 22 के नीचे क्रय एवं विक्रय सूचियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(एक) राज्य के भीतर ऐसे पंजीकृत व्यापारियों से क्रय की सूची जिन पर धारा 13 के अधीन आगत कर का रिबेट लिया गया है

अ. क्र.	व्यापारी का नाम, जिससे माल क्रय किया गया	टिन नंबर	क्रय किए गए माल का विवरण	कुल क्रय राशि (कर सहित)	आगत कर रिबेट की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	योग				

(दो) राज्य के भीतर ऐसे पंजीकृत व्यापारियों से क्रय की सूची जिन पर धारा 13 के अधीन आगत कर का रिबेट नहीं लिया गया है

अ. क्र.	व्यापारी का नाम, जिससे माल कय किया गया	टिन नंबर	कय किए गए माल का विवरण	कुल कय राशि (कर सहित)	कर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	योग				

(तीन) राज्य के भीतर पंजीकृत व्यापारियों को विकय की सूची

अ. क्र.	व्यापारी का नाम, जिसे माल का विकय किया गया	टिन नंबर	विकय किए गए माल का विवरण	कुल विकय राशि (कर सहित)	विकय बीजकों में संग्रहित की गई कर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	योग"				

(11) प्ररूप 18 के भाग–ग में सूचीबद्ध क्रय एवं विक्रय सूचियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"राज्य के भीतर ऐसे पंजीकृत व्यापारियों से क्रय की सूची जिन पर धारा 13 के अधीन आगत कर का रिबेट लिया गया है

अ. क्र.	व्यापारी का नाम, जिससे माल क्रय किया गया	टिन नंबर	क्रय किए गए माल का विवरण	कुल क्रय राशि (कर सहित)	आगत कर रिबेट की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	योग				

राज्य के भीतर ऐसे पंजीकृत व्यापारियों से क्रय की सूची जिन पर धारा 13 के अधीन आगत कर का रिबेट लिया गया है

अ. क्र.	व्यापारी का नाम, जिससे माल क्रय किया गया	टिन नंबर	क्रय किए गए माल का विवरण	कुल क्रय राशि (कर सहित)	कर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	योग				

राज्य के भीतर पंजीकृत व्यापारियों को विक्रय की सूची

अ. क्र.	व्यापारी का नाम, जिसे माल का विक्रय किया गया	टिन नंबर	विक्रय किए गए माल का विवरण	कुल विक्रय राशि (कर सहित)	विक्रय बीजकों में वसूल की गई कर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	योग"				

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच(28). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–17/2016/वाक/पांच (28) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-17/2016/CT/V (28). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) , the State Government, hereby, makes the following further necessary amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 with effect from 1st April 2016, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, —

(1) In sub-rule (5) of the rule 3, for the words and parentheses "clauses (c)", the words and parentheses "clauses (b)" shall be substituted.

(2) In sub-rule (2) of rule 9, —

(i) the words "or for sale outside the state" shall be deleted; and

(ii) proviso shall be deleted.

(3) In rule 22,—

(i) After clause (b) of sub-rule (1), the following shall be added, namely:—

"(c) The statement furnished under clause (b) of sub-section (1) of Section 19 may be revised once within one month from the last date prescribed for its filing."

(ii) In sub-rule (2), after the words and figure "in form 17", the words, figure and parentheses "and in form 18 precribed in clause (c)" shall be inserted.

(iii) In clause (b) of sub-rule (2), after the words and parentheses "clause (a)", the words and parentheses "or clause (b)" shall be inserted.

(4) In rule 35,—

(i) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Every registered dealer, other than a dealer to whom the provisions of sub-rule (2) apply, shall pay minimum 90 percent of quarterly tax payable within fifteen days of expiry of the quarter and shall pay balance tax within thirty days of expiry of the quarter."

(ii) for clause (b) of sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

"(b) The dealer shall pay 90 percent of the balance amount of tax due for a quarter within fifteen days of expiry of the quarter and shall pay remaining balance amount of tax within thirty days of expiry of the quarter."

(5) For rule 57, the following shall be substituted, namely:—

"57. Filing of memorandum of appeal.-

(1) Every appeal shall be in writing and shall specify,—

(a) the name and address of the appellant,

(b) the date of order against which it is made,

(c) the date on which order was communicated to the appellant,

(d) clear statement of facts,

(e) without any argument or narration, the grounds and number it consecutively on which appeal is preferred,

(f) precisely the relief prayed for, and

(g) be signed and verified by the appellant or an agent duly authorized by him in writing in this behalf in the following form, namely,—

I .... the appellant named in the above memorandum of appeal do, hereby, declare that what is stated therein are true to the best of my knowledge and belief.

....

Signature

(2) The memorandum of appeal shall be accompanied by,—

(i) an authenticated copy of the impugned order, and

(ii) a copy of the challan in proof of payment of the amount of tax and/or penalty, in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 48.

(3) An appeal against an order of assessment or against an order imposing penalty shall, far as possible, be in form 53.

(4) The memorandum of appeal shall be in duplicate and shall either be presented to the Appellate Authority or to such authority as the Commissioner may, by order, specify, by the appellant or his agent or sent to such authority by registered post.

(5) When an appeal is presented by a person duly authorised by the appellant as required by sub-section (1) of Section 24, it shall be accompanied by a duly stamped letter of authority appointing him as such.

(6) The memorandum of appeal or an application for reference under Section 55 shall be presented by the appellant or the applicant or by his agent to the Registrar or Clerk of Court of the Tribunal during office hours at the Tribunal's headquarters or sent to it by registered post.

(7) An Appellate Authority shall, ordinarily within thirty days of the presentation of the appeal, either admit or reject it after proper examination of the impugned order and/or the record relating to such order."

(6) For rule 59, the following shall be substituted, namely:—

"59. Summary rejection.-

(1) If the memorandum of appeal does not comply with all or any of the requirements of rule 57 or the appellant fails to pay in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 48 the tax and/or penalty in respect of which the appeal has been preferred, the appeal may be summarily rejected:

Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant is given such opportunity, as the Appellate Authority thinks fit, to amend such memorandum of appeal so as to bring it into conformity with the requirements of rule 57.

(2) An appeal may also be summarily rejected on any other ground which should be reduced in writing by the Appellate Authority:

Provided that before an order summarily rejecting an appeal under this sub-rule is passed, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(3) Where an appeal is summarily rejected under sube-rule (1) on the ground that the appellant had failed to pay, in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 48, the amount of tax and/or penalty in respect of which the appeal has been preferred, The Appellate Authority may, where, it is subsequently brought to its notice that the said amount was paid before filing of the memorandum of appeal but the proof of payment was not furnished therewith, readmit the appeal."

(7) For rule 60, the following shall be substituted, namely:—

"60. Hearing.-

(1) If the Appellate Authority does not reject the appeal summarily, it shall fix a date for hearing the appellant or his duly authorised agent.

(2) The said authority may, at any stage, adjourn the hearing of an appeal to any other date.

(3) If on the date fixed for hearing or any other date on which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear before the said authority either in person or through a person duly authorised by the appellant as required by sub-section (1) of Section 24, the said authority may dismiss the appeal or may decide it ex-parte, as it thinks fit.

(4) Where an appeal is dismissed or decided ex-parte under sub-rule (3), the appellant may, within thirty days from the date of communication of such order apply to the Appellate Authority for re-admisission or rehearing of the appeal and if the Appellant Authority is satisfied that the appellant or a person duly authorised under sub-section (1) of Section 24, was prevented by a sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, it may readmit or rehear the appeal upon such terms including terms as to cost and conditions as it may thinks fit."

(8) In rule 63,—

(i) In sub-rule (1), the words and figures "application for revision under Section 49" shall be deleted; and

(ii) Clause (iii) of sub-rule (1) shall be deleted.

(9) After rule 77, the following rule shall be added, namely:—

"77-A. Compounding of Offences.-

(1) The applicants shall make application for compounding of offence under Section 64-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) to the precribed authority and shall produce the proof of deposit of amount of tax, which would have been payable by such person had he complied with the provisions of the Act, with the application.

(2) The prescribed authority shall pass an order within 3 months from the date of receipt of the application.

(3) In the opinion of the prescribed authority, if the application deserves to be rejected then before passing such order the applicant shall be given proper opportunity of being heard.

(4) Where the prescribed authority compounds an offence, such order—

(i) shall be in writing,

(ii) specify the offence committed,

(iii) specify the sum of money to be paid,

(iv) shall be served on the dealer who committed the offence,

(v) shall be final and shall not be subject to any appeal.

(5) The dealer shall deposit the balance payable amount as per order within 30 days of receipt of order:

Provided that, if payment is not made within stipulated time the order shall be treated as ineffective."

(10) For the lists of purchases and sales below serial no. 22 in form 17, the following shall be substituted, namely:—

"(i) List of purchases from such registered dealers within the State on which input tax rebate has been claimed under Section 13

S. No.	Name of dealer from whom goods purchased	TIN No.	Description of goods purchased	Amount of total purchase (with tax)	Amount of input tax rebate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total				

(ii) List of purchases from such registered dealers within the State on which input tax rebate has not been claimed under Section

S. No.	Name of dealer from whom goods purchased	TIN No.	Description of goods purchased	Amount of total purchase (with tax)	Amount of tax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total				

(iii) List of sales to registered dealers within the State

S. No.	Name of dealer to whom goods sold	TIN No.	Description of goods sold	Amount of total sales (with tax)	Amount of tax collected in sale invoices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total"				

(11) For the lists of purchases and sales listed in PART-C of form 18, the following shall be substituted, namely:—

"List of purchases from such registered dealers within the State on which input tax rebate has been claimed under Section 13

S. No.	Name of dealer from whom goods purchased	TIN No.	Description of goods purchased	Amount of total purchase (with tax)	Amount of input tax rebate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total				

List of purchases from such registered dealers within the State on which input tax rebate has not been claimed under Section 13

S. No.	Name of dealer from whom goods purchased	TIN No.	Description of goods purchased	Amount of total purchase (with tax)	Amount of tax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total				

List of sales to registered dealers within the State

S. No.	Name of dealer to whom goods sold	TIN No.	Description of goods sold	Amount of total sales (with tax)	Amount of tax collected in sale invoices
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total"				

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.